

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/238
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00176
CICOM/R/2019/00645

दिनांक: 17.10.2019

अपीलकर्ता : श्री अरुण कुमार,
एल-9, बाल उद्यान रोड,
उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059.

निर्णय की तारीख: 17.10.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.08.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.09.2019, 06.09.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा, श्री एच. पी. सेन, श्री ए. के. असीजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	25.09.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	17537/26.09.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.08.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में श्री एस. सी. शर्मा, श्री एच. पी. सेन एवं श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 27.08.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री एस. सी. शर्मा एवं श्री एच. पी. सेन द्वारा दिनांक 04.09.2019 को तथा श्री ए. के. असीजा द्वारा दिनांक 06.09.2019 को प्रेषित सूचना सपष्ट, पूर्ण एवं बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार प्रथम अपील खारिज की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

पीयूष अग्रवाल

(पीयूष अग्रवाल)

पंजीयक एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26105021

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
3. श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
4. श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

